

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2020, लखनऊ, दिनांक : 17 अक्टूबर 2020,
सितम्बर
--संशोधित आदेश--

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम एवं द्वितीय नोएडा के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु माह सितम्बर-2020 एवं अक्टूबर-2020 हेतु क्रमशः दिनांक 26.09.2020 से 28.09.2020 तथा दिनांक 19.10.2020 से 21.10.2020 तक खण्ड पीठ गठित की गयी है।

सर्वश्री रजनी एन्टरप्राइजेज, दामोदरपुरी, सहारनपुर बनाम कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 वर्ष 2005-06 (प्रान्तीय) द्वितीय अपील संख्या-38/2010 के वाद को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अधिकरण सहारनपुर को प्रतिप्रेषित किया गया है तथा निर्णय में दिये गये निर्देशों के प्रकाश में निर्णय प्राप्ति के 08 सप्ताह के अंदर वाद को निस्तारित करने के निर्देश दिये गये हैं। वर्तमान में सहारनपुर पीठ में सदस्य का पद रिक्त है, जिसे देखते हुए उक्त मामले को मुख्यालय के आदेशांक-1418/2020 दिनांक 17.09.2020 द्वारा सहारनपुर पीठ से नोयडा पीठ-प्रथम को शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण हेतु स्थानान्तरित किया गया है। चूंकि प्रश्नगत मामले का निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत अति-शीघ्र किया जाना है, ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिप्रेषित प्रश्नगत मामले के शीघ्र निस्तारण हेतु नोएडा में माह सितम्बर-2020 एवं अक्टूबर-2020 के लिए निर्धारित की गयी खण्डपीठ की उपरोक्त तिथियों में परिवर्तन करते हुए दोनों माहों के खण्डपीठ की तिथियाँ निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैं:-

माह-सितम्बर 2020 दिनांक 26.09.2020 से 30.09.2020 तक।

माह-अक्टूबर 2020 दिनांक 19.10.2020 से 23.10.2020 तक

उक्त माहों में खण्ड की शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

ह0-

(नील कंठ सहाय)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/1419/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, नोयडा।
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ- सहारनपुर।
- 3-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 4-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 5-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।


निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।